भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3768
दिनांक 11 अगस्त, 2026 / 20 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम

†3768. श्री केसिनेनी शिवनाथः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित और स्वीकृत परियोजनाओं का प्रस्ताव के वर्ष सहित चरण-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसके प्रारंभ से ही इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति, पूर्ण किए कार्य का प्रतिशत और पूरा होने की अपेक्षित समय-सीमा सहित उनकी भौतिक प्रगति का शहर-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बाढ़ की घटनाओं में कमी, जल निकासी क्षमता में सुधार और शहरी बाढ़ से लड़ने की क्षमता में वृद्धि सहित इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त परिणामों का शहर-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने, अंतर-एजेंसी समन्वय को मजबूत करने और इस कार्यक्रम के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय आपदा शमन कोष (एनडीएमएफ) के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) चरण-I को 07 शहरों अर्थात् अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई एवं पुणे में कुल 3,075.65 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत से अनुमोदित किया गया है। इसके अतिरिक्त, शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (यूएफआरएमपी) चरण-II को 11 शहरों, अर्थात् भोपाल, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, जयपुर, कानपुर, पटना, रायपुर, तिरुवनंतपुरम, विशाखापत्तनम, इंदौर एवं लखनऊ में कुल 2,444.42 करोड़ रुपये की वित्तीय लागत से अनुमोदित किया गया है। यूएफआरएमपी चरण-I एवं चरण-II के अंतर्गत राज्यवार आवंटित तथा जारी की गई निधियों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3768, दिनांक 11.08.2026

(ग) से (ङ): यूएफआरएमपी के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। यूएफआरएमपी चरण-I के अंतर्गत सभी 07 शहरों तथा यूएफआरएमपी चरण-II के अंतर्गत गुवाहाटी की स्वीकृत परियोजनाएँ कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। यूएफआरएमपी के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं से वर्षा जल निकासी प्रणाली में उल्लेखनीय सुधार, बाढ़ एवं जलभराव में कमी, सड़क संपर्क में सुधार तथा शहरों के जल निकासी तंत्र की आपदा-प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होने की अपेक्षा है। तथापि, परियोजनाओं के पर्याप्त कार्यान्वयन के उपरांत ही शहरवार अंतिम परिणामों का आकलन किया जा सकेगा। यूएफआरएमपी के अंतर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा तथा उनके समयबद्ध पूर्ण होने को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा समय-समय पर समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एनडीएमए द्वारा यूएफआरएमपी हेतु एक निगरानी एवं मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की गई है तथा इसे अपनाने एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए सहभागी शहरों को प्रेषित किया गया है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3768, दिनांक 11.08.2026

अनुलग्नक

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम यूएफआरएमपी चरण-I के अंतर्गत शहर/राज्यवार आवंटित एवं जारी की गई निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	शहर/राज्य	अनुमोदित वित्तीय लागत	एनडीएमएफ से स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता	एनडीएमएफ से जारी निधि
1.	अहमदाबाद / गुजरात	275.00	243.90	73.17
2.	बेंगलुरु / कर्नाटक	275.00	238.72	71.62
3.	चेन्नई / तमिलनाडु	561.29	500.00	331.50
4.	हैदराबाद / तेलंगाना	319.53	250.00	75.00
5.	कोलकाता / पश्चिम बंगाल	650.43	500.00	150.00
6.	मुंबई / महाराष्ट्र	707.71	500.00	150.00
7.	पुणे / महाराष्ट्र	286.69	250.00	75.00

शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम यूएफआरएमपी चरण-II के अंतर्गत शहर/राज्यवार आवंटित एवं जारी की गई निधियों का विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	शहर/राज्य	अनुमोदित वित्तीय लागत	एनडीएमएफ से स्वीकृत केंद्रीय वित्तीय सहायता	एनडीएमएफ से जारी निधि
1.	भोपाल / मध्य प्रदेश	222.22	200.00	0.00
2.	भुवनेश्वर / ओडिशा	222.22	200.00	0.00
3.	गुवाहाटी / असम	222.22	180.00	54.00
4.	जयपुर / राजस्थान	222.22	200.00	0.00
5.	कानपुर / उत्तर प्रदेश	222.22	200.00	0.00
6.	पटना / बिहार	222.22	200.00	0.00
7.	रायपुर / छत्तीसगढ़	222.22	200.00	0.00
8.	तिरुवनंतपुरम / केरल	222.22	200.00	0.00
9.	विशाखापत्तनम / आंध्र प्रदेश	222.22	200.00	0.00
10.	इंदौर / मध्य प्रदेश	222.22	200.00	0.00
11.	लखनऊ / उत्तर प्रदेश	222.22	200.00	0.00
